

अल्पसंख्यक समुदाय (समस्त मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन वर्ग) के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावकों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने हेतु आवश्यक निर्देश:-

1. सर्वप्रथम अपने इण्टरनेट ब्राउजर (Browser) में <http://minoritywelfare.up.nic.in/> टाइप करें।
2. विवाह हेतु अनुदान के अन्तर्गत आर्थिक सहायता (अनुदान) स्वीकृत के लिए आवेदन पत्र पर क्लिक करें।
3. सभी प्रविष्टियाँ अंग्रेजी भाषा में भरी जायेंगी।
4. आवेदन पत्र में आवेदन से सम्बन्धित प्रविष्टियों को दिये गये पोर्टल पर भरते हुए आवेदक के फोटो, हस्ताक्षर/अगूंठा निशान, पहचान पत्र की छाया प्रति, बैंक पासबुक की छाया प्रति, विवाह का प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति तथा पुत्री की आयु से सम्बन्धित प्रमाण पत्र यथा परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित छाया प्रति/शैक्षिक रिकार्ड जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, को अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. लाभार्थी का फोटो तथा हस्ताक्षर/अगूंठा निशान केवल .jpeg file जो 20 kb से ज्यादा न हो, को अपलोड किया जायेगा।
6. पहचान पत्र, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शादी से सम्बन्धित प्रमाण पत्र केवल pdf file जो 40 kb से ज्यादा न हो, को अपलोड किया जायेगा।
7. आवेदक के आवेदन पत्र की उक्तानुसार सही प्रविष्टि भरकर संरक्षित कराने के उपरान्त फाइनल प्रिन्ट लिया जायेगा तथा उसके साथ समस्त संलग्नकों की सत्यापित छाया प्रति के साथ अनिवार्यतः तीस कार्य दिवस के अन्दर संबंधित जनपद के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जायेगी।
8. योजनान्तर्गत आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपना आधार कार्ड नं० का उल्लेख (अंकित) किया जाना आवश्यक है तथा आवेदन पत्र में आधार कार्ड से लिंक लाभार्थी का सही-सही बैंक खाता संख्या अंकित किया जाना अनिवार्य है।
9. आवेदक द्वारा केवल राष्ट्रीयकृत बैंक के खाते ही मान्य होंगे, किसी भी जिला सहकारी बैंक का खाता पी०एफ०एम०एस० पोर्टल पर स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि आवेदक द्वारा जिला सहकारी बैंक के खाते इस योजना में दिये जाते हैं तो ऐसे आवेदन को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
10. आवेदक की आय गरीबी की सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए अर्थात् शहरी क्षेत्र में रु० 56460/- प्रति वर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में रु० 46080/- प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. आवेदकों को तहसील द्वारा ऑनलाइन निर्गत जाति/आय प्रमाण-पत्र का क्रमांक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा।

12. इस योजना में वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा एवं समाजवादी पेंशन के लाभार्थियों हेतु आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इन योजनाओं के लाभार्थियों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना अनिवार्य है।
13. शादी अनुदान हेतु प्रथम आगत प्रथम पावत सिद्धान्त के अनुरूप बजट की सीमा तक प्राप्त आवेदन-पत्रों पर नियमानुसार निर्धारित अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा।
14. योजना में विधवा एवं विकलांग आवेदकों को वरीयता प्रदान की जायेगी।
15. आवेदन केवल शादी के दिनांक से 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक ही स्वीकार्य है।
16. अल्पसंख्यक समुदाय के अन्तर्गत चिह्नित वर्ग/जातिया (यथा:-समस्त मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) से सम्बन्धित समस्त आवेदक शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना से आच्छादित होंगे अतः अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों द्वारा अपना आनलॉइन आवेदन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के रस्तर (पोर्टल) में किया जाना अनिवार्य है अंयत्र विभाग के पोर्टल पर आवेदन करने के स्थिति में आवेदक लाभ पाने हेतु अहं नहीं होंगे।
17. विवाह अनुदान हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है।
18. पुत्री की उम्र प्रमाण पत्र में परिवार रजिस्टर की नकल/शिक्षा सम्बन्धित प्रमाण पत्र/मतदाता पहचान प्रमाण पत्र/आधार कार्ड की छाया प्रति अथवा चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र मान्य है।
19. एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा।
20. वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त विगत वित्तीय वर्ष की कोई मांग अगले वित्तीय वर्ष में अग्रणीत नहीं होगी।